28

12/3/16 पत्रावली आज लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडोसी है। जिनको भूमि शिमा की जानकारी नही होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है। अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

P.T.O

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
TDR 45 12/3/16	हमेन वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 मौजा चावण्डिया पटवार और भू०अभिलेख निरीक्षक और जामोला तहसील मसूदा के आराजी खसरा नम्बर 679 रकबा 02-09-10 किता 1 भूमि के खातेदार / काश्तकार दर्ज रकर्ड होना प्रकट आया है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा चावण्डिया पटवार और भू० अभिलेख निरीक्षक और जामोला तहसील मसूदा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 679 रकबा 02-09-10 किता 1 भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी से नियमानुसार 100/- रुपये पत्थरगढी शुल्क वसूल किये जाकर राजकोष मे जमा करवाया जावे। तहसीलदार मसूदा को दो प्रतियों मे रूक्का जारी करे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दफ्तर दाखिल करे। आदेश आज दिनांक 12/3/16 को लोक अदालत कैम्प पर सुनाया जाकर। उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 16:33:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: